संख्या- 8/2017/422जेड/6-सा-3-2017-25जी/16

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह के लिये आय-व्ययक में लेखानुदान द्वारा प्रावधानित **रू0 13,97,000/- (रू0 तेरह लाख सत्तान्नबे हजार मात्र)** की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20-03-2017 के साथ संलग्न कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02-01-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक/मद	प्रावधानित धनराशि (लाख रूपयों में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपयों में)
अनुदान संख्या-28 -2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें- 200-अन्य योजनायें- 04-उ0प्र0 स्व0 सं0 से0 सहायता संस्थान- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)- 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	 3·30 30·26	 1·37 12·60
योग रू0	**33·56 (रू0 तैंतीस लाख छप्पन हजार मात्र)**	**13·97 (रू0 तेरह लाख सत्तान्नबे हजार मात्र)**

क्रमशः 2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-04-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02-01-2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या:8/2017/422(1)जेड/6-सा-3-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
9- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10-इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://vbharatdesh.up.nic.in